

A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public:

As stated above the main function to this department is to conduct Government cases before different courts and does not deal with the public directly and there is hardly any necessity to constitute any board or committee nor there is any need to hold any meeting with the public in general or with any other dignitaries in particular.

उन परिषदों, समितियों, सभाओं ताकि दूसरी निकायों का विवरण, जो दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा इसके भाग के रूप में सलाह लेने के उद्देश्य से गठित है, और क्या उक्त परिषदों सभाओं की बैठकें आम जनता के लिए खुली है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है:

जैसा कि उपरोक्त विवरण से सपष्ट है कि इस विभाग का मुख्य कार्य, विभिन्न न्यायालयों में सरकारी केसों की पैरवी करना है और विभाग जनता के साथ सीधे कोई कार्यवाही नहीं करता । इस लिए किसी भी परिषद अथवा समिति के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही आम जनता अथवा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ किसी भी बैठक को बुलाने की खास तौर पर आवश्यकता है।